



छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
इवासी भवन, नया रायपुर अटल नगर
जिला-रायपुर

दिनांक 27-05-2020
संख्या-12/2020

—00—

संख्या-एफ 17-95/2017/38-2 नया रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक 27-05-2020

रायपुर
उच्च शिक्षा विभाग-मंत्रालय
इवासी भवन,
नया रायपुर अटल नगर,
रायपुर।

विषय- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने कायदा।
संदर्भ- आपका प्राप्त क्रमांक 418/149/आउशि/सग/2020 दिनांक 28.05.
2020

—00—

निम्नलिखित संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।
2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के
लिये शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति
संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का वाइड से गालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का
आग्रह करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।


(राजेंद्र कुमार मेहेर)
अध्वक्षक सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

संख्या-एफ 17-95/2017/38-2 नया रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक


प्रतिलिपि-


1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ अर्पित।
3. मार्ग फाईल।

अध्वक्षक सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

स-प्र(डी)


2/7/20


2/7/20



छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये
सत्र 2020-21 हेतु
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2020-21

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 को प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म जमा कराया जावेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर दिनांक अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। (कडिका 5.1 (क))

में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश ग्रहण वाले उनके पुत्र-भुक्तियों को स्थान रिक्त होने पर ही रात्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एक आवेदन-पत्र प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "अ" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहाँ उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- 2.2 पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :- विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न फंक्शनों के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना अर्ज्ञाव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही वह हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कामवाही करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम की एल.एल.बी की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति संवर्ष (अधिकतम 4 संवर्ष) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे।
- 3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

Sextam


प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु व्ययनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तकों एवं जहाँ अभिगार देय है, वहाँ अभिगार देकर कुल प्राप्तकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किसे जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।
- 4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।
- 4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र शैगिंग/अनुशासनात्मकता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्ध लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 4.7 राज्य शासन, द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5 प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियाँ एवं जम्मू काश्मीर के



विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (वायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.- प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व-भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के अतिरिक्त अर्हता के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

S. K. Singh

विधि सहाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति हेतु 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वाह्न में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ओ.बी.सी. हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्यक् विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं हैं, की परीक्षाएँ मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा एक संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 समकक्ष विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य समूह विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए नेशनल वोकेशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक :-

Dr. Prasad

के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशावलीय पत्र क्रमांक 1-52/2013(सीसी/एनएसयूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसयूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईस्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण विषयों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसयूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण-पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण-पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईस्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तापित किये गये और एनवीईस्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र एनएसयूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषयों में उत्तीर्ण स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये ताकि उन छात्रों को क्षेत्रीयिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7 बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-


7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमरा द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाये।



राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्राप्ति में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करती हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्थायी आवेदकों का स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
 - 8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-कैटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.3 विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्जेंट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।
 - 8.4 उपरोक्त कडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
 - 8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जाएगा।
9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-
 - 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/ वर्षों में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जाएगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।
 - 9.2 जिनके खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
 - 9.3 महाविद्यालय में ताल्लफूज करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रेगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाएँ एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त



किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आर्सेटिक वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशसित प्रत्याशियों, भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशसित विदेश से अध्ययन हेतु भेले गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटशीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निशक्त अभ्यर्थी/ आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार दिये हैं, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान ही तब विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

Detam

स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विभिन्न संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एकीकृत प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12 आरक्षण-उत्तीर्ण शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात् -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त सख्या में से बर्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त सख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त सख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उध्वाधर (वर्तीकला) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों /भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातियों के लिए प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण रहेगा।

[Handwritten signature]

एक ही वर्ग में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने में कारणा अनारक्षित श्रेणी ज़ोपन कासपीडीशन के नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीट सथावत अपभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मनी जायेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.6 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय सिलासपुर के निर्णय के अधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अधॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." को कडिका से पालन किया जाए।

13. अधिभार -

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/स्कॉर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जाये।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संघात्मक स्तर पर एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत

में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को



- (घ) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
- (ङ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत
- (च) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्पश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडिडेट 10 प्रतिशत
- (झ) ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडिडेट 10 प्रतिशत
- (र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य गूथ एनसचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडिडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए घयनित एवं प्रचार करने वाले कैंडिडेट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये घयनित होने वाले विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत
10 प्रतिशत
- 13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर
- 13.3 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विद्युत / रूपांकन प्रतियोगिताएं :-
- (1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपर्युक्त कड़िका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अन्तःसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तःक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 15 प्रतिशत
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

[Handwritten Signature]

- वर्ष एवं अन्य राष्ट्रीय के माध्य युद्ध अथवा साहस्य एवं कन्दरन
- अख्यसर्वेज प्रोगाम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ 10 प्रतिशत
- कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रचार करने वाले दल के सदस्यों को
- 135 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
- (क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 10 प्रतिशत
- सदस्यों को
- (ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की 12 प्रतिशत
- टीम के सदस्यों को
- 136 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

137 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैंडेड्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पांदर अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को वगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- 138 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कर्मिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कर्मिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय/विषय/गुण परिवर्तन :-

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/गुण परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/गुण परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कडिका 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

(Handwritten signature)

15. शोध कार्य

महाविद्यालयों में प्रवेश की कक्षा पाठ्य को जो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा।
 सुरक्षात्मक/प्रायोगिक कामों को पूर्ण रूप से जाने की स्थिति में सुरक्षात्मक की अनुमति पर
 प्राचार्य इस सम्भावना को अधिकतम न करें कर सकते हैं। मात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन
 करके प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया
 जायेगा। शोध छात्र को लिखित समिति महाविद्यालय द्वारा पीएच-डी निर्देशन हेतु एम.एड.
 में संश्लेषण मान्य प्राध्यापक सुरक्षात्मक विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही
 अपना शोध कार्य समाप्त करेंगे। आगत्य अनुसार लेबर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप
 में कार्यरत है तो रक्षक अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की
 कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही केवल आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक को दाय
 आहरण किया जायेगा।

महाविद्यालय में संश्लेषण प्राध्यापक सुरक्षात्मक के अन्तर्गत स्थानांतरण को जान की स्थिति
 में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध
 आवेदन पत्र अर्पित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रकृत उरी
 महाविद्यालयों के प्राचार्य अर्पित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ
 सहपठित करते हुए लागू होगा।

16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अध्याप
 कार्यालयीन परामर्शनीयता यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को
 निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या
 अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य
 को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में
 लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कारित करने का अधिकार प्राचार्य को
 होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त
 होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि को अतिरिक्त
 अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पाटीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की
 आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए
 स्पाटीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंध
 किसी भी प्रकरण को केवल अर्पित लिखाकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्राध्यापकों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच्च
 शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्त
 /संलग्न को संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

[Handwritten Signature]

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा
ब्लॉक-सी-3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन,
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

—00—

क्रमांक/२५१०/ ४४७ /आउशि/ समन्वय/२०१९
प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।



विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र २०१९-२० हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।
संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ १७-९५/ २०१७/ ३४-२ अटल
नगर रायपुर, दिनांक २४.०५.२०१९

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा
छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र २०१९-२० हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं।
प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०१९-२० की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की
छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत २०१९-२० में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन
करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/२५१०/ ४४७ /आउशि/ समन्वय/२०१९
प्रतिलिपि :-

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ विलासपुर/ जगदलपुर/
अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

डॉ. डी. आर. मेहता
25.05.19

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी मार्ग, अटल नगर
जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/30-2 अटल नगर, रायपुर दिनांक 24/5/2019
प्रति

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंदिराजी मार्ग,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2018-20 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने का मत।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव जायक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019


-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के
लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति
संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते
हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का फेदाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित
करने का काम करें।


संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


(श्री. म. क. मेहर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक/ एफ 17-95/2017/30-2 अटल नगर रायपुर दिनांक / /2019
प्रति/प्रति:-

1. विशेष सहायक, नामनीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया
रायपुर।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
की ओर सूचनाएँ अग्रेषित।
4. फाईल।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

सतीशचंद्र शर्मा

उच्च शिक्षा विभाग

सतीशचंद्र के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तृतीय स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

सत्र 2019-20

1. प्रस्ताव

सतीशचंद्र के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत आचार्य अंग्रेज 6 एच 7 के आदेशों के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश पत्रों का आवेदन करना होगा। इनका पालन सुनिश्चित करने।
सतीशचंद्र के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के तहत आचार्य अंग्रेज 6 एच 7 के आदेशों के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश पत्रों का आवेदन करना होगा। इनका पालन सुनिश्चित करने।

प्रवेश की तिथि :-

1. प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आचार्य अंग्रेज महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रत्येक छात्र निम्नलिखित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निम्नलिखित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि को सुचना महाविद्यालय के प्रचार्य द्वारा सूचना-पत्र पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों को जमा करने के लिए अंतिम तिथि को सुचना महाविद्यालय के प्रचार्य द्वारा सूचना-पत्र पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु आवेदन पत्रों को जमा करने के लिए अंतिम तिथि को सुचना महाविद्यालय के प्रचार्य द्वारा सूचना-पत्र पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी।

2. प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

सतीशचंद्र के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई तक प्रचार्य द्वारा सूचना-पत्र पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 18 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अंतिम तिथि निर्धारित की जायेगी। कठिनाई 5.1 (क) में उल्लिखित निर्देशों के तहत स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले छात्रों के पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर केवल केवल प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए प्रचार्य द्वारा आवेदन पत्रों का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदन का प्रवेश हेतु निम्नलिखित अंतिम तिथि को पूर्व में महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आचार्य अंग्रेज के तहत अंतिम तिथि (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी तिथि में प्रवेश दिया जायेगा। इसके बाद छात्रों को स्थान-रक्षण स्थान 'ब' में ही मया इस-स्थान (ग) के लिए आवेदन पत्रों में अंतिम तिथि प्रवेश लेना चाहिए है, रिक्त स्थानों में आवेदन पत्रों को प्रवेश दिया जायेगा। अंतिम तिथि के बाद प्रवेश दिए जायेगा।

- 23. न्यायिक शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश का प्रस्ताव प्रमाण पत्र जो माता पिता को मिलेगा कि सहायक प्रिंसिपल स्वयं से प्रस्ताव पर किए जायें।
- 24. योगित छात्र/छात्रों की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी विद्यार्थी नियमानुसार प्रवेश के लिए मिलने वाले शुल्क रुपये 100/- असाधारण मद में प्रेषित करने का प्रस्ताव जायें। सभी एसी प्रकरणों में ही प्रस्ताव प्रेषित करने की अनुमति यहाँ से प्रदान की जायेगी।
- 25. असाधारण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (कॉपी) के आधार पर प्रवेश गुना दिया जायेगा। असाधारण प्रमाण पत्र जो जान की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थान से प्राप्त किया जाये। पुलिस थान की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संख्या से अधिकाधिक प्रमाण पत्र स्थापना प्रमाण पत्र को अनुक्रमिक एवं दिनांक को अंतिम की प्रमाण पत्र की संख्या से ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से पहले पूरा प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रमाण स्थापना प्रमाण पत्र जारी करने के साथ साथ छात्र से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने कि संबंधित छात्र रेगिस्टर/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में लिखित में या नही। एसी प्रमाण पत्रों को सीलबंद लिफाफे में बंद कर पूरा महाविद्यालय के कार्यालय में प्रेषित करने जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- 26. असाधारण प्रमाण पत्र, राज्य शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2053/2014/38 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन, एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातकोत्तर की छात्रों को वैधानिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करवाये का प्रस्ताव किया जाए।

प्रवेश की पात्रता :-

- 27. निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-
 - (क) असाधारण के मूल/स्थायी/उत्तीरणाद में स्थायी संप्रतिवासी निवासी, राज्य या केंद्र स्तर पर के शासकीय कर्मचारी, अधशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक समठनों के कर्मचारी जिनके पदावनत छत्तीसगढ़ में है उनके पुत्र पुत्रिया एवं जम्बू कर्मचार के विस्थापित तथा उनके जायितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। असाधारणानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य सत्रों के माध्यम प्रवेश प्राप्त एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आगेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
 - (ख) असाधारण महाविद्यालय से या समकक्ष विश्वविद्यालय द्वारा राज्यक प्रायः विद्यालयों से जो छात्रों परीक्षा उत्तीर्ण आगेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ग) असाधारणानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदन को प्रवेश प्रदान किया जाए।

के सम्बन्ध में कक्षा-सहित प्रवेश परीक्षा वर्ष 2014 तक प्रारंभिक परीक्षाओं में अर्जित अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है।

बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

1. स्नातक- स्नातकोत्तर- बी.टेक./ बी.आर./ बी.एस.-डी./ बी.एस.एस. सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से पूर्वोक्त पाठ्यक्रम में निर्यात विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/ द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगस्त/ द्वितीय/ तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय/ स्वशासी महाविद्यालय में प्रवेश का छत्र विषय, विषय समूह में प्रवेश के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है।

2. स्नातकोत्तर के अतिरिक्त विश्वविद्यालय/ स्वशासी महाविद्यालय से स्नातकोत्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है।

अथवा की परीक्षा की तिथियों को निर्धारित प्रारंभ में एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें वे प्रवेश के अंकों/ अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है।

3. प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय/ स्वशासी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है।

4. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

1. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों के आधार पर प्रवेश के लिए एक छत्र का प्राथमिकतापूर्ण एवं प्राथमिकतापूर्ण रूप से स्थापित किया गया है।

... किन्तु इन दोनों में से ...

प्रवेश हेतु अर्हताएं - किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी स्तर पर प्रवेश प्राप्त करने वाले उच्च शिक्षित व्यक्तियों को प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

... प्रवेश हेतु उपाय - ...

प्रवेश हेतु आयु-सीमा - ...

... प्रवेश हेतु ...



1.

2.

3.

4.

5. प्रवेश हेतु गुणगुणन का निर्धारण :-

6.

7.

8.

9.

10. प्रवेश हेतु प्रयोगिकता :-

11.

12.

13.

14.

... ..
... ..
... ..
... ..

आवश्यक अनुसंधान शक्ति की आवश्यक शक्ति निम्नानुसार है -

... ..
... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

...
 ...
 ...
 ...

- 112. ... 10. ...
- 113. ... 10. ...
- 114. ... 02 प्रतिशत
- 115. ... 04 प्रतिशत
- 116. ... 05 प्रतिशत
- 117. ... 07 प्रतिशत
- 118. ... 05 प्रतिशत
- 119. ... 15 प्रतिशत
- 120. ... 12 प्रतिशत
- 121. ... 10 प्रतिशत
- 122. ... 10 प्रतिशत
- 123. ... 10 प्रतिशत
- 124. ... 10 प्रतिशत
- 125. ... 10 प्रतिशत
- 126. ... 10 प्रतिशत
- 127. ... 10 प्रतिशत
- 128. ... 10 प्रतिशत
- 129. ... 10 प्रतिशत
- 130. ... 10 प्रतिशत

12

12) → ...

...

...

...

...

...

...

13) ...

...

14) ...

...

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...

विशेष

- 1. ...
- 2. ...
- 3. ...
- 4. ...
- 5. ...
- 6. ...
- 7. ...
- 8. ...
- 9. ...
- 10. ...

[Handwritten signature]

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ.ग.0)



क्रमांक 127/260/आजशि/योजना/18
पति

नया रायपुर दिनांक 14/05/2018

कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़।

विषय :- सेतु (SEIU) परियोजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 में ऑनलाइन प्रवेश के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सेतु (SEIU) परियोजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 में चिप्स (CHIPS) के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया नहीं किया जाएगा। सभी विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में अपने संसाधन/व्यवस्था के अनुरूप सुव्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित करें।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनुमोदित)

(डॉ. गिरध गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.0)

नया रायपुर दिनांक 14/05/2018

पृ.क्रमांक 127/260/आजशि/योजना/18
प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, छ.ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन की ओर सूचनाार्थ।
2. सचिव, छ.ग शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय मंत्रालय महानदी भवन की ओर सूचनाार्थ।
3. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा, रायपुर/दुर्ग/वित्तरापुर/जमदलपुर/अम्बिकापुर (छ.ग.)
4. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय (छ.ग.)
5. प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय छत्तीसगढ़।
की ओर सूचनाार्थ।

(डॉ. गिरध गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.0)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश
के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत
सत्र 2018-2019

1. प्रयुक्ति :-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 15 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक या स्थानांतरण स्थान "ख" में हो गया, इस स्थान (ख) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहाँ उसके पालक कार्यरत है किसी

महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (घ) पर स्थानांतरण होते ही स्थान (ग) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अग प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बड़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार कौंसिल द्वारा निर्धारित गापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जो मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रदेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्ध लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाए।

(5)

स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

- (ज) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में विजयी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ऊंची विषयों की कगश द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी (गृह विज्ञान)/बी.ए स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कगश एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुरूपित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में 55% अंक (अनसूचित जनजाति/अनसूचित जाति/ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6 समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फॉर सेकण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एरोरिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी रागस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैंपस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक

1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर 5

के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किस्ती भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके पास +2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किस्ती भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।”

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस.-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करत हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्नातकीय आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रदेश हेतु निर्धारित अंतिम टिप्पणी के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-फेटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।



विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्जिमेंट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूर्व प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कक्षा 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उची कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिरासो प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकल्प चल रहे हों, परीक्षा ने या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकाारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/घंतावनी के वाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में लोडफोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रेगिम्न के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शाराकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जाये।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से आययन के लिए विदेशी मुद्रा में वेवेटर्सिट पर अध्यायन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि सभ्य में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्राक्तान समाप्त किया जाये है।

- (ग) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ड) विधि संकाय को छोड़कर अनुरूपित जाति/अनुरूपित जनजाति/विधवा/वाम/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। विश्वविद्यालय/अग्रणी/आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कार्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा निम्नलिखित का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
- 9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जाएगा।
- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार होंगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।
11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
- 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एकीकृत प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाये, अन्य क्रम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसको नियमित स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के आयापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा आने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जाये आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिले में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के

अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुमानुक्रम से प्रवेश दिया जायगा। स्थान रिक्त होने पर एवं गुमानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी। परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, जिसमें एक दिवस की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण-छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति को अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा विन्ती शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित शीति से होगा, अर्थात् :-

- (क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञापत्र संख्या में से वही प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञापत्र संख्या में से वही प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
- (ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञापत्र संख्या में से वही प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि(यों) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उच्चाधर (वर्दीकल) रूप से अध्वारित किया जाएगा।

(2) निशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भ्रूणपूर्व कार्यियों / भ्रूणपूर्व सैनिक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वधुओं या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षेत्रीय आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राजा सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उच्चाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान पानाओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अन्वर्क्षित नहीं होगा। काम्यीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, जो आरक्षित श्रेणी की सेवा पर्याप्त अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी विन्ती सत्र में उसे अन्वर्क्षित स्थान सानगी आदि

का भी है तो संगम की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी गानी जायेगी, संग संगम की सीट भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट मुक्ति कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्राधान्य माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली/समूह के निर्देश के अधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण प्रमाण डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इतका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/सेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ जाये।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. "बी" सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत

या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग) "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत

में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 05 प्रतिशत

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत

(छ) राज्यपाल स्काउट्स 10 प्रतिशत

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत

(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडिडेट 10 प्रतिशत

(ञ) राष्ट्रीय ओपन एडमिशन अगार्ड प्राप्ति एन.सी.सी. कैंडिडेट 10 प्रतिशत

(ट) राष्ट्रीय ओपन एडमिशन अगार्ड प्राप्ति एन.सी.सी. कैंडिडेट 10 प्रतिशत

(ड) राष्ट्रीय ओपन एडमिशन अगार्ड प्राप्ति एन.सी.सी. कैंडिडेट 10 प्रतिशत

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के साथ युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडिडेट, एन सी सी / एन एस एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडिडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये भगनित होने वाले विद्यार्थियों को

15 प्रतिशत

10 प्रतिशत

132 सागर विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उरी विषय में प्रवेश देने पर

133 खेलकूद / साहित्यिक / सांस्कृतिक / विषय / समाजकन प्रतियोगिताएं -

(1) लोक शिक्षण संघालनालय अथवा उत्तीराग्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य जिला, संगान स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर-संगान / क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कठिका 133 (1) में उल्लेखित विभाग / संघालनालय द्वारा आयोजित अन्तर-संगान राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर-राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआई यू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत

(ग) संगान / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 16 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

134 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के साथ युवा एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडिडेट, एन सी सी / एन एस एस के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैंडिडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्हूरी के लिये भगनित होने वाले विद्यार्थियों को

10 प्रतिशत

135 उत्तीराग्य शाला / मध्य से मान्यता प्राप्त खेल शास्त्री द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

10 प्रतिशत

(क) उत्तीराग्य शाला / मध्य का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्यों को

12 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली उत्तीराग्य शाला / मध्य की टीम के सदस्यों को

विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हिल में एन सी.सी. / खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ केंद्रों तथा ओलम्पियाड / एशियाड / स्पोंटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें प्राप्ति है कि :-

- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्याथियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयवधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्ध मुक्त प्राप्ति करना आवश्यक होगा।

138 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कक्षा सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कक्षा सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14 संकाय / विषय / गुण परिवर्तन :-

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहंकारी परीक्षा के संकाय / विषय / गुण परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय / विषय / गुण परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15 शोध छात्र :-


शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय / प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुमति पर प्राचार्य इस समयवधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच.-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की

कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर को अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अंग्रेजित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अंग्रेजित करेंगे।

16 विशेष :-


- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक महीने या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अंग्रेजित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस्तन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।


(डॉ. किरण राजपाल)
संयुक्त सचालय,
उच्च शिक्षा सचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

कानून-आयुक्त, उच्च शिक्षा
 ब्लॉक सी-30 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्दौर जिला
 नया रायपुर (म.प्र.)



1415 138 अवर शिक्षा विभाग, इन्दौर



कृ. प्रो.
 कानून विभाग
 नया रायपुर
 नया रायपुर
 कानून-आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग
 इन्दौर

विषय — इस्तीफा के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।
 सदर्भ — अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 तथा रायपुर, दिनांक 29.05.2017

— 00 —

उपरोक्त विषयानुसार उक्त है कि उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का कार्यालय इस्तीफा के शैक्षणिक संस्थानों के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी करने में है। उक्त मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017-18 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया उक्त अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाये। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2017-18 में दिष्ट मध्ये प्रत्येकी का क्रमांक सी पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(सी. वि. वि. विभाग)
 सचिव, संयुक्त
 उच्च शिक्षा, नया रायपुर (म.प्र.)
 रायपुर दिनांक 29/05/2017

1415 138 अवर शिक्षा विभाग, इन्दौर

अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग को और सचिव का कार्यालय के सदर्भ में सूचनाएँ।
 क्षेत्रीय स्तर पर संयुक्त क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा बिलासपुर, खण्डगढ़पुर, अधिकापुर, जी और
 नया रायपुर

(सी. वि. वि. विभाग)
 उच्च शिक्षा, नया रायपुर (म.प्र.)

Handwritten notes and dates in the bottom left corner, including '06-06-17'.

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय-
महानदी भवन, नया रायपुर

-----00-----

संख्या/एफ 17-95/2017/38-2

नया रायपुर, दिनांक 29 MAY 2017

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इंद्रावती भवन,
नया रायपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2017-18 हेतु प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।
संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रमांक 68/आउशि/समन्वय/2017

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा
स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु अनुमोदित प्रवेश
मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए
मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का फुड्वाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का
कष्ट करें।

संलग्न:- संसदीयानुसार।

(नलिनी नाथुर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर, दिनांक 29 MAY 2017

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 17-9522017/38-2

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. स्टाफ आफीसर अवर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. निज सचिव, संबुक्त सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
5. जी और सूचनाार्थ अग्रोहित।
6. गार्ड फाईल।

(अवर सचिव)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

... अथवा ...

पुस्तकालयों में व्यक्तिगत रूप से ले लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

... पुस्तकालयों में ...

प्रवेश सख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में ...

3.2 विभिन्न स्नातक ...

प्रवेश सूची :-

3.3 प्रवेशी द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देती हुए प्रवेश हेतु ...

3.4 प्रवेश सूची द्वारा आवश्यक सलग्न दस्तावेजों की प्रतियाँ को मूल प्रमाण पत्र ...

उपरोक्त सूची के अंत में उक्त या ही प्राविधिकता में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के प्रमाण के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11. उक्त सूची की पूर्ण जानकारी के लिए निम्न वेबसाइट मान्य रिक्त होने पर सभी उम्मीदवारों को प्रवेश देने का निर्णय किया जायेगा। प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

12. उम्मीदवारों को प्रवेश देने की दिनांक प्रति (अनुसूची) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। प्रमाण-पत्र को प्राप्त की दिनांक से विद्यार्थी तब तक निकलकर पुनः प्रवेश देने का अधिकार नहीं दिया जाये। प्रवेश देने की रिपोर्ट एवं पूर्ण प्रवेश प्राप्त संख्या से अधिक प्रवेश देने की रिपोर्ट नहीं दिया जाये। प्रमाण-पत्र को अनुसूची के अनुसार एवं दिनांक के अनुसार ही प्रवेश देने की प्रकृति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से प्रवेश पत्र लिया जाये।

13. उम्मीदवारों के प्रवेश के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित संबंधित रिपोर्ट जारी करने के संबंधित छात्र रजिस्ट्रार/अनुसूची/तैलफोन आदि में दर्जित है या नहीं। ऐसे मामलों में रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्रमुख को प्रेषित करेंगे जहाँ कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

14. उम्मीदवारों को प्रवेश देने के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 14/09/2014 अनुसार राज्य शासन, एनए द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्यापन स्नातक को प्रवेश देने का शैक्षणिक संव 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है। का पालन किया जाए।

प्रवेश की पात्रता :-

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) उम्मीदवारों के मूल/स्थायी, उत्तीर्ण में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदावकाश उत्तीर्ण में है, उनके पुत्र/पुत्रियाँ एवं जम्मू काश्मीर के निवासी तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के प्रश्नात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को निगमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रश्नात ही आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाए।

स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश -

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु परीक्षाओं और जवाब सफल के अतिरिक्त यह विद्यार्थी आकाश में प्रवेश नहीं कर सकते। वाएस्सी (गृह विज्ञान), प्रथम वर्ष में विद्यार्थी भी आकाश में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का स्नातक प्रवेश की पात्रता द्वितीय, तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.एस. बी.एससी (गृह विज्ञान)/बी.एस. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का स्नातकोत्तर प्रथम, एम.एससी. (गृह विज्ञान), एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं आर्थिकी विभाग स्नातक, बी.एससी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को तृतीय विद्यार्थी स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्थिकी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
 1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्राथमिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
 2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पाठ आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्राथमिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, अगुर्थ, प्रथम सेमेस्टर में भी प्रवेश को गृही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्थिकी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

- (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति हेतु 40% होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वोक्त में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

बिना किसी भी प्रकार के भ्रम के, उम्मीदवारों को यह सूचित किया जाता है कि...

समाप्त/समाप्त

यदि आप इस सूचना पत्र पर कृपया ध्यान दें कि यह सूचना पत्र केवल सूचना के लिए है और इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है।

आपको यह सूचित किया जाता है कि आपकी जानकारी के अनुसार...

यदि आपकी जानकारी के अनुसार...

यदि आपकी जानकारी के अनुसार...

आपको सूचित किया जाता है कि...

यदि आपकी जानकारी के अनुसार...

(Handwritten mark)

विभिन्न स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में किये गये परीक्षाओं का प्रतिफल प्राप्त न करने वाले या पुस्तक प्राप्त आवेदकों को अगली वर्ष में अत्याधिक प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।

- 8.1 स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में किये गये परीक्षाओं का प्रतिफल प्राप्त न करने वाले या पुस्तक प्राप्त आवेदकों को अगली वर्ष में अत्याधिक प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।
- 8.2 पुस्तक किराया न चुकाने वाले छात्रों पर अगली वर्ष में अत्याधिक प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।
- 8.3 विभिन्न स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में किये गये परीक्षाओं का प्रतिफल प्राप्त न करने वाले या पुस्तक प्राप्त आवेदकों को अगली वर्ष में अत्याधिक प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।

9 प्रवेश हेतु अर्हताएँ -

- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं किया तो उसे आगे आगे नियमित प्रवेश हेतु अर्हता नहीं माना जाएगा, उक्त माध्यम से अत्याधिक प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।
- 9.2 स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में किये गये परीक्षाओं का प्रतिफल प्राप्त न करने वाले या पुस्तक प्राप्त आवेदकों को अगली वर्ष में अत्याधिक प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।

- 9.3 स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में किये गये परीक्षाओं का प्रतिफल प्राप्त न करने वाले या पुस्तक प्राप्त आवेदकों को अगली वर्ष में अत्याधिक प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।
- 9.4 स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में किये गये परीक्षाओं का प्रतिफल प्राप्त न करने वाले या पुस्तक प्राप्त आवेदकों को अगली वर्ष में अत्याधिक प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।

- 9.5 स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में किये गये परीक्षाओं का प्रतिफल प्राप्त न करने वाले या पुस्तक प्राप्त आवेदकों को अगली वर्ष में अत्याधिक प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।
- 9.6 स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में किये गये परीक्षाओं का प्रतिफल प्राप्त न करने वाले या पुस्तक प्राप्त आवेदकों को अगली वर्ष में अत्याधिक प्रवेश देने का प्रावधान नहीं है।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा -

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्ववर्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का प्रश्न किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार की मंत्रालय/कार्यालय द्वारा उत्तरे द्वारा नियमित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशसित ब्याचिंगों भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में फेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) किसी संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(14)

10) संस्था का निष्ठा-पत्र में प्रवेश हेतु स्नातक गुणानुक्रम में 25% से ऊपर का अंक प्राप्त होना आवश्यक है जो प्रवेश की शर्त होगी।

11) यदि छात्रों को प्रवेश हेतु अयोग्यता मिले, तो अनुसूचित जात/अनुसूचित वर्ग के छात्रों को प्रवेश हेतु अयोग्यता का विचार नहीं किया जाएगा।

12) प्रवेश हेतु स्नातक गुणानुक्रम में अंक 25% से ऊपर होना आवश्यक है जो प्रवेश की शर्त होगी। स्नातक गुणानुक्रम में अंक 25% से ऊपर होना आवश्यक है जो प्रवेश की शर्त होगी। स्नातक गुणानुक्रम में अंक 25% से ऊपर होना आवश्यक है जो प्रवेश की शर्त होगी।

13) प्रवेश हेतु स्नातक गुणानुक्रम में अंक 25% से ऊपर होना आवश्यक है जो प्रवेश की शर्त होगी।

10) प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण -

10.1) प्रवेश हेतु स्नातक गुणानुक्रम में अंक 25% से ऊपर होना आवश्यक है जो प्रवेश की शर्त होगी।

10.2) स्नातक गुणानुक्रम में अंक 25% से ऊपर होना आवश्यक है जो प्रवेश की शर्त होगी।

10.3) स्नातक गुणानुक्रम में अंक 25% से ऊपर होना आवश्यक है जो प्रवेश की शर्त होगी।

10.4) स्नातक गुणानुक्रम में अंक 25% से ऊपर होना आवश्यक है जो प्रवेश की शर्त होगी।

11) प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1) प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/द्वितीय कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अंशकारी परीक्षा में उत्तीर्ण निर्धारित/भूतपूर्व निर्धारित संस्थाओं/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2) स्नातक/स्नातकोत्तर/द्वितीय कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अंशकारी परीक्षा में उत्तीर्ण निर्धारित/भूतपूर्व निर्धारित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के निर्धारित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3) यदि संस्था की अंशकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आधारों पर विचार न करते हुए उक्त विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

11.4) आवेदक द्वारा अंशकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आधारों पर विचार न करते हुए उक्त विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

परन्तु समस्त प्रत्यक्ष स्वयंसेवी स्वयंसेविकाओं के लिए एक ही श्रेणी के लिए एक ही सीटें आरक्षित नहीं की जाएगी।

12. आरक्षण-स्वयंसेवा श्रेणी की आरक्षण नीति के अनुसार निम्नानुसार होगा -

12.1 स्वयंसेवा श्रेणी में स्थायी रूप से कार्य करने वाले स्वयंसेवा श्रेणी के सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

(क) स्वयंसेवा श्रेणी के सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(ख) स्वयंसेवा श्रेणी के सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

(ग) स्वयंसेवा श्रेणी के सदस्यों को आरक्षण प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण सीटें पत्र विद्यार्थियों को अनुसूचित जातियों के कारण अतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से भी विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि सूचीबद्ध पत्रों में निर्दिष्ट व्यवस्था में परभाव भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अर्थात् आरक्षित सीटें अतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पत्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उत्थाहर (वर्कशॉप) रूप से अधिारित किया जाएगा।

(2) निशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, मृदापूर्व कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सदस्यों में अतिम आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) से अधीन यथास्थिति उत्थाहर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियाँ तथा निशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अतिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा।

12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी अंश में सम्मिलित होने में निवृत्त हो सकता है, यदि ऐसा होता है तो अनारक्षित श्रेणी की सीटें स्वयंसेवा अग्रभावेत रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी स्वयंसेवा से - स्वतंत्रता संग्राम सेनानों आदि का भी है तो स्वयंसेवा की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी जानी जाएगी, शेष स्वयंसेवा की सीटें भरी जाएंगी।

- आवधिक जगहों को प्रयोग में लाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 1972 प्रतिशत तक का प्रतिशत के बीच का अंतराल बनाया जा सकता है।
127. जम्मू कश्मीर - विद्यार्थियों को प्रयोग में लाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 1972 प्रतिशत तक का अंतराल बनाया जा सकता है।
128. जम्मू कश्मीर - विद्यार्थियों को प्रयोग में लाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 1972 प्रतिशत तक का अंतराल बनाया जा सकता है।
129. जम्मू कश्मीर - विद्यार्थियों को प्रयोग में लाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 1972 प्रतिशत तक का अंतराल बनाया जा सकता है।
130. जम्मू कश्मीर - विद्यार्थियों को प्रयोग में लाने का प्रयत्न करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, 1972 प्रतिशत तक का अंतराल बनाया जा सकता है।

अभिज्ञान
 अभिज्ञान एक गुणसूचक प्रयोग है जिसे ही प्रधान किया जायेगा। यह प्रयोग प्रयोग करने वाले अभिज्ञान अभिज्ञान पर ही अभिज्ञान देय होगा अभिज्ञान हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश-आवेदन-पत्र के साथ सहायक करने अभिज्ञान है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लगे जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अभिज्ञान हेतु बिहार नहीं किया जायेगा एक से अधिक अभिज्ञान प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अभिज्ञान ही देय होगा।

13.1. एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोटर्स के अर्थ में पढ़ जाये।

- (क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'ए' सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत
- (ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट 03 प्रतिशत
 या द्वितीय तीर्थान उत्तीर्ण स्काउट्स
- (ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय तीर्थान उत्तीर्ण स्काउट्स 04 प्रतिशत
- (घ) राज्य स्तरीय सहायकालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में धुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को 04 प्रतिशत
- (ङ) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेंस में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को 05 प्रतिशत
- (च) राज्यपाल स्काउट्स 06 प्रतिशत
- (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत
- (झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडिडेट 10 प्रतिशत
- (ञ) ज्यूस ऑफ एडिन्बर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडिडेट 10 प्रतिशत
- (ट) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैंडिडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए

- अधिनित एव प्रकाश करने वाले केंद्रेण को अन्तर्राष्ट्रीय
अम्बरी को लिये घोषित होने वाले विद्याभिया को 15 प्रतिशत
- 13.2 अन्तर विभाग पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर
वर्ष में उरी विभाग में प्रवेश देने पर 10 प्रतिशत
- 13.3 छात्रकुटुम्ब साहित्यिक / सांस्कृतिक / विधुत्त / समाजिक प्रतियोगिता -
- (1) लोक शिक्षण सचालनालय अध्यापक इन्वीटेशनद पृथक् विद्या विभाग द्वारा आयोजित अन्त
विभाग समार स्तर अध्यापक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय समूहण द्वारा आयोजित अन्त समार अन्त
स्तर प्रतियोगिता में -
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
- (2) उपयुक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संघालयलय द्वारा आयोजित
अन्तसमार राज्य स्तर अध्यापक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यालय समूहण द्वारा आयोजित अन्तसमार
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अध्यापक भारतीय विश्वविद्यालय संघ प्रजाईपु द्वारा आयोजित
प्रतियोगिता में अध्यापक संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय
प्रतियोगिता में -
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
- (ग) संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिस्पर्धी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 15 प्रतिशत
करने वाले को
- (ख) प्रथम, द्वितीय अध्यापक तृतीय स्थान अंजित करने वाली टीम 12 प्रतिशत
के सदस्यों को
- (ग) संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिस्पर्धी को 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के साथ युद्ध अध्यापक साइन्स एव कल्चरल
एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान / सांस्कृतिक / साहित्यिक / 10 प्रतिशत
कला क्षेत्र में अधिनित एव प्रकाश करने वाले दल के सदस्यों को
- 13.5 अन्तर्राष्ट्रीय शासन / म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -
- (क) अन्तर्राष्ट्रीय / म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 10 प्रतिशत
सदस्यों को
- (ख) प्रथम, द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय को 12 प्रतिशत
टीम के सदस्यों को
- 13.6 पम्पू-काशीर में विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को 01 प्रतिशत

जहाँ हमारी विधि में एक ही ही जितने अधिकारी हों उन जहाँ शिक्षक ही जितने
जाहिर किया जाएगा।

महाविद्यालय में विद्यार्थी प्रवेश करने के लिए प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने की विधि
के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से प्रवेश करने की विधि नहीं होगी। प्रवेश परीक्षा में
उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रवेश परीक्षा में
उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा।

18 विशेष

- 18.1 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 18.2 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 18.3 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 18.4 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 18.5 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा।
- 18.6 प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा।


(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा सचालनालय
नया रावपुर (छ.ग.)

राष्ट्रीय कार्ययुक्त उच्च शिक्षा समन्वयक
द्वारा की-30, द्वितीय एवं तृतीय ताल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छत्ता)

क्रमांक- 11 / 228 / आशशि / समन्वय / 16

नया रायपुर दिनांक 18/5/16



Handwritten notes:
 1. कुलसचिव
 2. प्राचार्य
 3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्ययुक्त उच्च शिक्षा समन्वयक
 4. सचिव, राष्ट्रीय कार्ययुक्त उच्च शिक्षा समन्वयक
 5. अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्ययुक्त उच्च शिक्षा समन्वयक

- कुलसचिव
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर
- प्राचार्य
राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

दिनांक - 15.5.16
 विषय - राष्ट्रीय कार्ययुक्त उच्च शिक्षा समन्वयक के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2016-17 की प्रारंभिक सूची का निर्धारण।
 संदर्भ - अवर सचिव उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 2017/228/2016/38-2 / 2016/38-2 रायपुर दिनांक 12.05.2016

उपरोक्त विषयसंबंधी सूची है जिसे प्रयोगकर्ता, उच्च शिक्षा विभाग को प्रेषित करने के लिए सूचित किया जाता है। सूची में उच्च शिक्षा समन्वयक के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2016-17 के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। सूची में उच्च शिक्षा समन्वयक के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। सूची में उच्च शिक्षा समन्वयक के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

सचिव उच्च शिक्षा विभाग
 नया रायपुर

क्रमांक- /228/आशशि/समन्वय/16
 संदर्भ- 1-

नया रायपुर दिनांक 18/5/16

- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सचिव उच्च शिक्षा विभाग
 नया रायपुर

Handwritten signatures and dates:
 K. K. 18/05/16
 18/5/16

धरतीराज्य अकादमी
 राज्य शिक्षा विभाग
 राजीव गान्धी
 महानदी भवन, नया गजपुर

दिनांक 22/05/2018

आयुक्त
 राज्य शिक्षा विभाग
 राजीव गान्धी भवन
 नया गजपुर, धरतीराज्य

विषय - धरतीराज्य के शैक्षणिक संस्थानों के लिए वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा तैयार करने बाबत।

--- 0 ---

राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के लिए वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा तैयार करने बाबत वर्ष 2018-2019 के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा तैयार करने बाबत।
 राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के लिए वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा तैयार करने बाबत।
 राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के लिए वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा तैयार करने बाबत।

आयुक्त
 राज्य शिक्षा विभाग
 राजीव गान्धी भवन
 नया गजपुर, धरतीराज्य

1. शिक्षा विभाग, राजीव गान्धी भवन, नया गजपुर, धरतीराज्य
2. शिक्षा विभाग, राजीव गान्धी भवन, नया गजपुर, धरतीराज्य
3. शिक्षा विभाग, राजीव गान्धी भवन, नया गजपुर, धरतीराज्य
4. शिक्षा विभाग, राजीव गान्धी भवन, नया गजपुर, धरतीराज्य

आयुक्त

उत्तर प्रदेश सरकार
 शिक्षा विभाग
 लखनऊ

संख्या: ए.ए.डी. 2252/2014/58-2

श्री. अशोक
 शिक्षा विभाग, लखनऊ
 लखनऊ

विषय - उत्तर प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों के लिए वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तावित बजट के संबंध में सूचना देना।

— 0 —

सूचना के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि वर्ष 2014-15 के लिए शिक्षा विभाग के बजट का विवरण निम्नानुसार है -

1. शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों के लिए बजट का विवरण निम्नानुसार है -
2. शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों के लिए बजट का विवरण निम्नानुसार है -

(सुपरीकृत प्रमाण)
 शिक्षा विभाग
 लखनऊ

संख्या: ए.ए.डी. 2252/2014/58-2

1. शिक्षा विभाग, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
2. शिक्षा विभाग, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
3. शिक्षा विभाग, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ
4. शिक्षा विभाग, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

सचिव
 शिक्षा विभाग, लखनऊ

प्रधानमंत्री केंद्र
 जय प्रियदर्शन विद्यालय
 शिक्षण
 महावली, शासन, गया सभागृह

पुष्पिणी शा. ली. २०२२

२०२२-२३

विषय -
 १. अध्यापक
 २. अध्यापक (सहायक)
 ३. अध्यापक (प्रतिपद)
 ४. अध्यापक (अतिरिक्त)

विषय - महावली के शैक्षणिक सत्रों के लिये वर्ष २०२२-२३ के लिये अध्यापक सहायक/अतिरिक्त नियुक्ति हेतु आवेदन करने का आदेश।

- - -

महावली के शैक्षणिक सत्रों के लिये वर्ष २०२२-२३ के लिये अध्यापक सहायक/अतिरिक्त नियुक्ति हेतु आवेदन करने का आदेश।

अध्यापक सहायक/अतिरिक्त नियुक्ति हेतु आवेदन करने का आदेश।

(सुधीर कुमार)

महावली शासन, जय प्रियदर्शन विद्यालय
 महावली, शासन, गया

पुष्पिणी शा. ली. २०२२

१. अध्यापक सहायक/अतिरिक्त नियुक्ति हेतु आवेदन करने का आदेश।
२. अध्यापक सहायक/अतिरिक्त नियुक्ति हेतु आवेदन करने का आदेश।
३. अध्यापक सहायक/अतिरिक्त नियुक्ति हेतु आवेदन करने का आदेश।
४. अध्यापक सहायक/अतिरिक्त नियुक्ति हेतु आवेदन करने का आदेश।
५. अध्यापक सहायक/अतिरिक्त नियुक्ति हेतु आवेदन करने का आदेश।

सुधीर कुमार

महावली शासन, जय प्रियदर्शन विद्यालय

सर्वोच्च न्यायालय
भारत गणराज्य
संविधान
अनुच्छेद 32, संख्या 10000

दिनांक 22.02.2018

श्री. अशोक कुमार
विराट नगर, राजस्थान
विराट नगर, राजस्थान

विषय :-

विराट नगर के शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध सन 2018-19 में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का आदेश।

विराट नगर के शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध सन 2018-19 में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का आदेश।
विराट नगर के शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध सन 2018-19 में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का आदेश।
विराट नगर के शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध सन 2018-19 में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का आदेश।

संविधान संख्या 10000

संविधान संख्या 10000

- 1. विराट नगर के शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध सन 2018-19 में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का आदेश।
- 2. विराट नगर के शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध सन 2018-19 में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का आदेश।
- 3. विराट नगर के शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध सन 2018-19 में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का आदेश।
- 4. विराट नगर के शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध सन 2018-19 में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का आदेश।
- 5. विराट नगर के शैक्षणिक संस्थानों के विरुद्ध सन 2018-19 में नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का आदेश।

संविधान संख्या 10000

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन
नया रायपुर (छ0ग0)

पृ.क्रमांक- 50/02/आउशि/समन्वय/15

नया रायपुर दिनांक 07/07/15

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य,
समस्त अग्रणी महाविद्यालय
छत्तीसगढ़।



विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश
संदर्भ :- मार्गदर्शिका सिद्धांत।
अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 2636/2282/
2014/38-2 रायपुर दिनांक 04.07.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित
पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका
सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2015-16 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय
महाविद्यालयों को पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुये, प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2015-16 में
दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(डॉ. किरण गजपाल)
संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

पृ.क्रमांक- /02/आउशि/समन्वय/15

नया रायपुर दिनांक 07/07/15

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में
सूचनाार्थ।
2. क्षेत्रीय अवर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/
अभिकापुर की ओर सूचनाार्थ।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, नया रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 04/07/2015

2282/2014/38-2

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

—00—

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति लब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

निर्देशानुसार सूचित है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही से 3 दिनों का अग्रगत करने का कष्ट करें।

(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक /07/2015

/2282/2014/38-2

तिलिपि -

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर.
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
की ओर सूचनार्थ।
3. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग

व्यक्ति :-

यदि मार्गदर्शिका सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि :-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "ब" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान

प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अग प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक जाने के बाद आवेदक (ए) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-
 विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वी कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बड़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश को कार्यवाही करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
4. प्रवेश सूची :-
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक रत्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की शील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

प्रवेश सूची की शुरुआत करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी विद्यार्थियों को नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रु. 100/- असाधारण स्तर में अतिरिक्त रूप से भरना जायेगा, तथा निम्नलिखित प्रक्रिया में 30 मिनटों के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (दुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र को लाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एक आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त सम्बन्ध में अतिरिक्त रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से ध्यान पत्र लिया जाये।

46 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से सर्वोच्च गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/बोहकाड आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्ध लिफाफे में बन्द कर उसे महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

47 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद् द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक वर्ष 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

5 प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदनाम छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियाँ एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनका आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में पश्चात् ही आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की अनुमति होगी। किन्तु यण्डिय श्री कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान सभ्य में प्रवेश नहीं

जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र प्रवेश की पात्रता होंगी।

स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

(क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी./एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुरूचित जनजाति/अनरूचित जाति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वार्ध में 55% अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रवक्तान प्रभावी होंगे।

परीक्षा :-
 बोर्ड ऑफ रोक्रेडर एजुकेशन (सी.पी.एस.ई.) इंडियन काउंसिल फॉर सेकेंडरी
 एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की
 परीक्षाएँ माध्यमिक शिक्षा माण्डल को 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्रायः, मान्य बोर्ड की
 शून्यी सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ
 यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के
 समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित
 करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएँ मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय
 अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी
 विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केंद्र/ऑफिस केन्द्र
 आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी
 संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा गैरानुमोदित रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं
 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन
 विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध
 विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification
 Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर
 के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता
 प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक
 1-52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार -

"जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय
 कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय
 व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण
 तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि 28
 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण
 पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध
 हैं। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुरारण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों
 को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को
 समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4
 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन
 विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं
 महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके

स्तर में लायसार्थिक विषय थे वे अलायन्सरी स्थिति में होंगे। अतः वेरा आपसे के जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी पूर्ण पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास भिजे जा रहे हैं तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को अतिरिक्त गत्यात्मकता के लिए सुआवसर मिल सकें।

माह्य आवेदकों का प्रवेश :-

स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एन.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा की हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों का निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करके हुए उसे प्रवेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पाटमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी/केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्जीमेंट 28 प्रतिशत पूरा न करने वाले को पूरक प्राप्त आवेदकों के अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त बन्धिका 7 के दृष्ट 1 एवं 2 के आवेदकों का अस्थायी प्रवेश ही प्राप्त करेंगे।

प्रवेश हेतु उर्हताएं :-

किसी भी महाविद्यालय/दूरविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश हेतु छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जाएगा, उसे मात्र पुनः नियमित प्रवेश हेतु प्रवेश हेतु प्रमाण-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, से अकारण प्रवेश नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चलान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रक्रिया चल रहे हो, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अभिजातियों/कर्मचारियों के तत्त्व दुर्व्यवहार/नारपीट करने के गंभीर आरोप हो/सजावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/सुरक्षा के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट से अकारण प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छात्रोत्सव सत्र के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्ववर्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 24 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदक वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/जातीय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुसूचित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुसूचित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में फेनेटरीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोड़कर अनुरागित जाति/अनुरूगित जनजाति, दिवंगत वर्ग, दिवंगत अन्यर्था/महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

शासकीय/अशासकीय सेक्टर कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के खत्म होने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजन का प्रमाण-पत्र परस्त करने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा।
किसी संवत्स में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नातक कार्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जाएगा।

- (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जाँचकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान है तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जाएगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

- 11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।
11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्जिगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाएगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।
11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12.1 आरक्षण का अर्थ है आरक्षण नीति का अनुपालन निम्नानुसार होगा -

अनुपालन नीति के अन्तर्गत आरक्षण का अर्थ है आरक्षण द्वारा किसी शैक्षणिक संस्था में इच्छित अनुपातित सीटों से प्राप्त आवेदकों -

- (क) अनुपालन नीति के अन्तर्गत आरक्षण नीति के अन्तर्गत अनुपालन संख्या में से बर्तमान प्रतिशत सीटों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ख) अनुपालन नीति के अन्तर्गत आरक्षण नीति के अन्तर्गत अनुपालन संख्या में से बर्तमान प्रतिशत सीटों अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- (ग) अनुपालन नीति के अन्तर्गत आरक्षण नीति के अन्तर्गत अनुपालन संख्या में से बर्तमान प्रतिशत सीटों अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अतिरिक्त (अतिरिक्त) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्णगणित पद्धति में निर्दिष्ट व्यवस्था के पर्याप्त भी, जहाँ खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें अतिरिक्त (अतिरिक्त) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उद्योग (वर्गीकृत) रूप से अद्यतन किया जाएगा।
 - (2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, मूलभूत चार्जिंग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चर्चों या व्यक्तियों को अन्य विशेष वर्गों के संवर्धन में क्षीय आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन ग्यारहवें, उद्योग आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्तियों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गों का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाएगा।
 - 12.4 सभी वर्गों में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
 - 12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी आपन कार्यालय में नियमानुसार गैरेंट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें बचावत अप्रभावित रहेंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्धन जैसे- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्धन की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी नानी जावेगी, शेष संवर्धन की सीटें भरी जायेगी।
 - 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत $1/2$ से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। $1/2$ प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
 - 12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि का प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।
 में दर्शाई गई आरक्षण के प्राक्कान माननीय उच्च न्यायालय बिलारापुर के निर्णय
 के अन्तर्गत रहेगा।
 के अधिनियमों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संघ में प्रवर्तन क्रमानु-
 सार (सी.सी.) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अधॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में
 निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कड़ीयत 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We
 direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally
 backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational
 institutions and for public appointments." यह कड़ाई से पालन किया जाए।
 अधिभार :-

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका
 उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय
 होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
 आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर
 अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक
 अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/शंपर्स के अर्थ में पढ़ जावे।

- | | | |
|-----|---|------------|
| (क) | एन.एस.एस./एन.सी.सी "ए" सर्टिफिकेट | 02 प्रतिशत |
| (ख) | एन.एस.एस./एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट
या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 03 प्रतिशत |
| (ग) | "सी" सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स | 04 प्रतिशत |
| (घ) | राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता
में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को | 04 प्रतिशत |
| (च) | नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़
के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेंस में भाग लेने
वाले विद्यार्थी को | 05 प्रतिशत |
| (छ) | राज्यपाल स्काउट्स | 05 प्रतिशत |
| (ज) | राष्ट्रगति स्काउट्स | 10 प्रतिशत |
| (झ) | छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैंडिडेट | 10 प्रतिशत |
| (झ) | ड्यूटी ऑफ एडिगर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैंडिडेट | 10 प्रतिशत |
| (ञ) | भारत एवं अन्य राष्ट्रों के नवय यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में
भाग लेने वाले कैंडिडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए
वर्धनित एवं प्रवास कराने वाले कैंडिडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय
जन्मूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को | 15 प्रतिशत |

13.2 आन्तरिक विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर
 गद्या में उत्तीर्ण विषय में प्रवेश देने पर

10 प्रतिशत

साहित्यिक / सांस्कृतिक / विज्ञान / रसायन प्रतियोगिताएँ -

नाम शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अल्प
कालीन, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अल्प संभाग/क्षेत्र
स्तर प्रतियोगिता में :-

- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत
(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लिखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित
अन्तःसंभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तःक्षेत्रीय
राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित
प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय
प्रतियोगिता में :-

- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत
(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-

- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त
करने वाले को 15 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम
के सदस्यों को 12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य गृह अथवा साइन्स एवं कल्चरल
एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/
कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में -
(क) छत्तीसगढ़/म.प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 10 प्रतिशत
सदस्य को
(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की 12 प्रतिशत
टीम के सदस्यों को

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनका आश्रितों को 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं मातृविद्यालय के विद्यार्थी एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए
एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कंडेक्टर्स तथा ओलम्पियाड/एथलेटिक्स/सर्वश्रेष्ठ
अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में

... अन्तर्गत जो वही गुणानुक्रम के समान शिक्षा यंत्र में जो प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान है।
 ... प्रमाण-पत्रों को सम्बन्धित होना एक मुक्त-चयनात्मक, अतीराम्य प्रमाण-पत्र अधिष्ठापित किया गया है, एव
 ... सुविधा केवल उन्हें अन्तर्गत जो मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयान्त में अपने-अपना आवेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरे बार प्राप्त करने के लिए उन्हें आवेदन पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

... प्रवेश हेतु स्नातक स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर स्तर या द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु निम्न तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिष्ठापित हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्ण सत्र के प्रमाण-पत्र अधिष्ठापित हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/रूप परिवर्तन -

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में आर्कषी परीक्षा के संकाय/विषय/रूप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांक से 5 प्रतिशत घटाकर तत्काल गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिष्ठापित घटे हुए प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/रूप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर बडिका 22 में उल्लिखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की न्यून गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. शोध छात्र -

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कक्ष अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयवधि को 3 सित्कम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अकांक्ष लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र को रूप में कार्यरत है, तो सहाय अधिष्ठापक द्वारा प्रेषित त्तरिणति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिष्ठापक द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्तर्गत स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अधिष्ठापित किया गया था शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध-पत्र प्रकाशित कर महाविद्यालयों के प्राचार्य लगेपित करेंगे।

पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रसारणीय अथ
असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश
करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।


प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह
अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचा
को होगा।


16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कॉडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणां
लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य व
होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त
होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त
अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन के
आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हु
स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंध
किसी भी प्रकरण को केवल अंग्रेपित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च
शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन
/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।


(डॉ.ए.के.पाण्डेय)
विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग.)


(डॉ.आर.बी.सुब्रमनियन)
अपर संचालक
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)